

25/8/22

पञ्जावली पेश हुई वकील पञ्जावली अनुपस्थित
बादी व वादी वकील एवं हतिवादी को न्यायालय
समक्ष हल पाठ-पाठ भाषा लाना गई गई
लेकिन कोई उपस्थित नहीं भए है भौतना ही
पदाप्त अवसर दिए जाते हैं वक्त हतिवादी
की तामिल नहीं करवाई करवाई है।

अतः वादी का वक्त न्यायाधीश निवेद्यता चारा-
- 188 शॉर्टिण्डेस्ट अन्तर्गत भादश 09 लिपि 403
को तहत अदम राजरी व अदम पेशी में खारिज
लिफा जाता है। पञ्जावली फौजल सुमाद डाला
जम्मा से कात होकर दारखाल दफतर हो
विगप शुद्ध न्यायालय में सुनाया गया।

५

उपस्थित अधिकारी
समिर लाल